न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र परीक्षण संख्याः 517 सन 2019

राज्य—————————— बनाम ——————————चमन

आरोप

मैं नीरज कुमार गर्ग, अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर एतद्द्वारा आप चमन पर निम्न आरोप लगाता हूँः—

प्रथमः यह कि दिनांक 14.08.2018 को समय करीब 10.00 बजे रात्रि स्थान आबादी ग्राम रोहिन्दा, थाना अरनियां, जिला बुलन्दशहर में आपने, अन्य के साथ, अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बलवा कारित करने हेतु एक विधि विरूद्ध संगठन बनाया, इस प्रकार आपने **भा0दं0सं0 की धारा 147** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपने अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध संगठन के सदस्य के रूप में, वादिनी के जीजा खान साहब के पुत्र तौहीद की हत्या करने की तैयारी के साथ, खान साहब के मकान में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर गृह अतिचार किया, इस प्रकार आपने **भा0दं0सं0 की धारा 452** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपने अन्य के साथ अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध संगठन के सदस्य के रूप में साशय व ज्ञानपूर्वक खान साहब के पुत्र तौहीद को स्वेच्छया मारपीट कर साधारण चोटें पहुंचायीं, इस प्रकार आपने **भा0दं0सं0 की धारा 323 सपठित धारा 149** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपने अन्य के साथ अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध संगठन के सदस्य के रूप में साशय व ज्ञानपूर्वक खान साहब के पुत्र तौहीद को स्वेच्छया मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुंचायीं, इस प्रकार आपने **भा0दं0सं0 की धारा 325 सपठित धारा 149** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचमः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपने अन्य के साथ अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध संगठन के सदस्य के रूप में साशय व ज्ञानपूर्वक खान साहब के पुत्र तौहीद को मारपीट कर प्राणघातक चोटें पहुंचायीं, जिनसे उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी, इस प्रकार आपने **भा0दं0सं0 की धारा 304 सपठित धारा 149** के अन्तर्गत, हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(नीरज कुमार गर्ग)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा(बुलन्दशहर)।

दिनांकः 05.03.2021

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

(नीरज कुमार गर्ग)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा(बुलन्दशहर)।

दिनांकः 05.03.2021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र परीक्षण संख्याः 517 सन 2019

राज्य————————— बनाम ———————————————चमन

अपराध संख्याः 215 सन 2018

धाराः 147,452,323,325,304 भा0दं0सं0

थानाः अरनियां, जिला बुलन्दशहर।

<u>आदेश</u>

मुकदमा पेश हुआ। अभियुक्त उपस्थित है।

मैंने आरोप के बिन्दु पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) ने अभियुक्त पर लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि वह अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करते हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त पर जुर्म अन्तर्गत धारा 147,452,323/149,325/149, 304/149 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्त चमन पर जुर्म अन्तर्गत धारा 147,452,323/149,325/149, 304/149 भा0दं0सं0 का आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 20.03.2021 को पेश हो।

(नीरज कुमार गर्ग)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।

दिनांकः 05.03.2021